


दिनांक	आज्ञा पत्र	काशी
23.6.21	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15.9.21 को पेश हो।	
15-9-21	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज का जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पेशत नम्बर होकर नम्बर से कम होकर बाद तरलीक वसूली का खिल दाफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर </p>	<p>Not Press</p> <p><u>Pyamela</u></p> <p>Identified Bureau -</p> <p><u>V. S. S.</u> 15/9/21</p> <p>विजयकुमार अल</p> <p>M. H. D. R. Y. S. H. D.</p> <p>S = 40000</p> <p><u>20/9/21</u></p>